

18/10/19

पुनश्च प्रकरण के संबंध में लाजवन्ती देवी  
 पुरदयाल के नाम से मर्कत अनुमान शिकायती  
 प्रार्थना पत्र दिनांक 15-10-19 को प्राप्त हुआ  
 जिसकी जांच हेतु अं०अ० निरीक्षक बाबुवाल  
 को प्रेषित किया गया। अं०अ० निरीक्षक बाबुवाल  
 द्वारा फसल चुकी का फर्द मौला दिनांक 16-10-19  
 को पेश किया गया जिसमें अतिव्ययिता द्वारा मानवीय  
 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्वयंभू आदेश प्रस्तुत  
 करने के कारण चुकी नहीं गई। शिकायती प्रार्थना  
 पत्र के संबंध में अं०अ० निरीक्षक बाबुवाल द्वारा  
 दिनांक 18-10-19 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें  
 श्री० राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा डी० नं० 1440/19  
 को स्वयंभू आदेश प्रस्तुत किया गया एवं पूर्व में  
 प्रस्तुत स्वयंभू आदेश में तहसील कोषालय द्वारा  
 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगोवर सिंह चौधरी  
 गए मार्गदर्शन के क्रम में उक्त कोषालय को  
 पत्र क्रमांक एन 16(5)U/वि०प्र/रि०/18/2012  
 दिनांक 24-03-18 द्वारा मानवीय राजस्व मण्डल  
 अजमेर द्वारा पारित स्वयंभू आदेश को पालना  
 करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। अति प्रस्तुत

जी जो शामिल पत्रावली हुई। पूर्व में मांगे गए मार्ग-  
दर्शन व माननीय राज्य मन्त्र अजमेर द्वारा पारित  
रूपरेखा आदेश के तन्मूर्त में लुकी लियेकी  
आदिवादी ड्राय वर पत्रावली पूर्व पत्रावली के  
साथ तेलगन है।

2  
18/10/19

